आज हम द्वारा ... [illegible]
में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 5/2/24 को पेश हो।

05/02/24 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। निगरानीकर्ता का बयान अंकित किया गया, मसकर अनुतोष किया जाता है दोनों पक्षों के वकीलों से पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया ~~[illegible]~~ गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

[illegible] संख्या : 90/2023

[illegible]र्थीगण :–

1. उदाराम दत्तक पुत्र मेयाराम
   जाति मेघवाल निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केवा पुत्र हिन्दू
2. कुस्टाराम पुत्र रूगाराम
3. केसा पुत्र चेला
4. कान्ति पुत्र चेला
5. छगना पुत्र जुगता
6. जीवो पुत्री चेला
7. जोरो पत्नी जुगता
8. डूंगरा पुत्र जेठा
9. निम्बा पुत्र चेला
10. भेरा पुत्र जेठा
11. मेहरा पुत्र जुगता
12. रेखाराम पुत्र रूगाराम
13. रमकू पत्नी रूगाराम
14. श्रवण पुत्र जेठा
15. सुखदेव पुत्र चेला
16. सोना पुत्र हिन्दू
17. हरचंद पुत्र चेला
18. हीरा पुत्र रूगा
    जाति मेघवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी
19. मैंनेजर भूमि विकास बैंक बालोतरा
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 05.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पयाप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं किये जाने से विप्रार्थीगण का जबाव का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गुडामालानी पटवार हल्का गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 2013/1751 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2011/1733 रकबा 0.9658 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2009/1739 रकबा 0.6323 हैक्टेयर एवं पटवार मण्डल भाखरपुरा के राजस्व ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0896 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गुडामालानी पटवार हल्का गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 2013/1751 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2011/1733 रकबा 0.9658 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2009/1739 रकबा 0.6323 हैक्टेयर एवं पटवार मण्डल भाखरपुरा के राजस्व ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0896 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5.2.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलिबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

…दे / 2024 / दिनांक :

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

उदाराम **केवा वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......90 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **05.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम गुडामालानी पटवार हल्का गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 2013 / 1751 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2011 / 1733 रकबा 0.9658 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2009 / 1739 रकबा 0.6323 हैक्टेयर एवं पटवार मण्डल भाखरपुरा के राजस्व ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0896 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार गुडामालानी** .को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2024 / 153-158 / 13-2-24 दिनांक :
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **गुडामालानी / रतनपुरा**
4. हल्का पटवारी....**गुडामालानी / भाखरपुरा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण......... **उदाराम पुत्र केवा**
6. विप्रार्थीगण....... **केवा वगैरा**

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी